"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 201] रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 मई 2016— वैशाख 21, शक 1938

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 मई 2016

अधिसूचना

क्रमांक-644/966/आठ-परि./2014 . — मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 200 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर-966/आठ-परि./2014, रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

1. सरल क्रमांक 1 के कॉलम (2) की प्रविष्टी (घ) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
	" (घ) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 129 तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 213 के उल्लंघन होने पर दो पहिया वाहन चालक एवं उस पर सवार व्यक्ति द्वारा हेलमेट (सुरक्षात्मक हेड गियर) का उपयोग न करने पर.	200	200"

2. यह संशोधन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से 31-10-2016 तक प्रवृत्त रहेगा.

No.-644/966/viii-Trans./2014. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 200 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following amendment in the department's notification R-966/viii-Trans./2014, Raipur, dated 21st November, 2014, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said notification,-

1. For entry (d) in column (2) of serial number 1 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)		(3)	(4)
	"(d)	Violation of Section 129 of the Motor Vehicles Act, 1988 and rule 213 of the Chhattisgarh Motoryan Niyam, 1994; regarding without wearing protective head gear by the driver and pillion rider in the motor cycle.	200	200"

2. This amendment shall remain into force from the date of its publication in the Official Gazette till 31-10-2016.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016 .